कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक,छ०ग०शासन
बी ब्लाक, द्वितीय तल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)

निःशक्त के बैंकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन

कमांक / स्था / विज्ञा. / / नया रायपुर, दिनांक / 10 / 2015

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश कमांक 1653 / 1531 / 2014 / 13 / 1,नया रायपुर, दिनांक 09.09.2015 के तारतम्य में छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय के अतंर्गत निःशक्तजनों के लिये बैकलॉग के निम्न पद तालिका मे दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी / मुल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 15.11.2015 तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आंमत्रित किये जाते है।

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय हेतु निःशक्त के कुल बैंकलॉग के रिक्त पदों का विवरण

	पदनाम	निःशक्तजनों हेतु कुल बैकलॉग रिक्तियों की संख्या			कुल योग
		अस्थि बाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	
1.	उपअभियंता (वि.सु.)	01	–	–	01
2.	सहायक ग्रेड–3	01	–	–	01
3.	विद्युतकार	01	–	–	01
4.	भृत्य	01	–	–	01
				महायोग योग–	04 पद

अ– उपअभियंता (अस्थिबाधित), वेतनमान 9300–34800+4200 ग्रेड पे

कमांक	विवरण	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.	रिमार्क
1.	कुल संख्या	–	–	–	01	01	
2.	बैकलॉग के पद				01	01	अस्थिबाधित
					कुल योग–01 पद		

ब– सहायक ग्रेड–3 (अस्थिबाधित), वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे

कमांक	विवरण	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.	रिमार्क
1.	कुल संख्या	–	–	–	01	01	
2.	बैकलॉग के पद				01	01	अस्थिबाधित
					कुल योग–01 पद		

स– विद्युतकार (अस्थिबाधित), वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे

कमांक	विवरण	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.	रिमार्क
1.	कुल संख्या	–	–	–	01	01	
2.	बैकलॉग के पद				01	01	अस्थिबाधित
					कुल योग–01 पद		

द– भृत्य (अस्थिबाधित), वेतनमान 4750–7440+1300 ग्रेड पे

कमांक	विवरण	अजा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.	रिमार्क
1.	कुल संख्या	–	–	–	01	01	
2.	बैकलॉग के पद				01	01	अस्थिबाधित
					कुल योग–01 पद		

निरंतर.....2

2– विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञप्ति पदों के लिए आवश्यक शैक्षाणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रकिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि कार्यालय अधीक्षण अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन, मुख्यालय, बी ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर एवं जिला कार्यालय–कार्यपालन अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन, संभाग–रायपुर, सुन्दर नगर, आम बगीचा के सामने, रायपुर के सूचना पटल पर एवं www.cgstate.gov.in में देखी जा सकती है।

(पी0के0 मजुमदार)
अधीक्षण अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0, शासन
नया रायपुर (छ0ग0)

(विज्ञापन की शर्ते एवं नियम की विस्तृत जानकारी)

(1) शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं :–

अ– उप अभियंता

भारतीय विद्युत अधिनियम के नियमों के अधीन प्रशासकीय दक्षता में 03 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा उर्त्तीण होना चाहिए।

टीपः–अभ्यार्थी डिप्लोमा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या डिग्रीधारी अभ्यार्थियों के लिए अनुभव की छुट दी जा सकेगी।

ब– सहायक वर्ग–3

1– मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उर्त्तीण.

या

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उर्त्तीण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उर्त्तीण.

2– मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

3– कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगीं।)

टीपः– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक ग्रेड–3 के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।
3. वैघानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर सांईस/इंफारमेंशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

स– विद्युतकार

आई.टी.आई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण पत्र या विद्युत व्यवसाय में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र। ऐसे अभ्याथियों को अधिमान दिया जावेगा, जिन्हे विद्युत प्रयोग शाला में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान हो।

द– भृत्य

छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

निरंतर.....2

(2) **निर्धारित आयु सीमा :–**

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छुट की पात्रता होगी :–

1– यदि अभ्यार्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

2– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

3– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मे उतनें वर्ष की छुट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छुट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

4– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदको (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदको) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छुट दी जायेगी।

5– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/.85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट दी जायेगी।

6– राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट दी जाएगी।

7– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

8– भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छुट होगी।

महत्वपूर्ण टीपः– उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गो के अधीन आयु में छुट दिए जाने के उपरान्त शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2015 के संदर्भ में की जाएगी।

(3) **आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्ते/निर्देश/जानकारी :–**

1– प्रत्येक पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/– रूपये का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9" x 4" के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

2– आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वंय के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करे।

3– आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करे।

4– आयु सीमा मे छुट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

निरंतर.....3

5– आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें।

6– आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

7– आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 1511.2015. तक कार्यालय अधीक्षण अभियंता (विद्युत/सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन, मुख्यालय, बी ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा, सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएगें। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तो के अनुसार नही होगें उस पर विचार नही किया जाएगा।

8– अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।

9– विज्ञप्ति जारी दिनाक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

10– आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

11– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12– चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

13– चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14– समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देर्शो/नियमों के अनुसार वर्टिकल व होरीजोण्टल आधार पर पदों का आरक्षण रहेगा।

15– यह नियुक्तियॉ छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते), नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2007 से शासित होगी।

16– विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्ते/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार अधीक्षण अभियंता (वि0सु0) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन, नया रायपुर का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

17– विज्ञाप्ति पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना पत्र द्वारा भेजी जावेगी तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल व www.cgstate.gov.in में भी अपलोड की जावेगी। यदि किन्ही कारणों से व्यक्तिगत् सूचना की प्राप्ति में विलम्ब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचना होना माना जावेगा।

निरंतर.....4

18– इस विज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटिशटन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(4) **नियुक्ति के लिए अपात्रता :–**

1– कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

2– कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवारी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(5) **चयन की प्रकिया :–**

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 10 गुना उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे :–

1– उपअभियंता :–

अ	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। टीप–अभ्यर्थी डिप्लोमा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की छूट दी जा सकेगी।	मेरिट के आधार पर
	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक

2– सहायक ग्रेड–3

अ	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2).	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
ब	कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिधंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा.	40 अंक
	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निधारित अकों में 50 प्रतिशत अक अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

3– विद्युतकार :–

अ	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आई.टी.आई./मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र विद्युत व्यवसाय में।	मेरिट के आधार पर
	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक

निरंतर.....5

4— **भृत्य :—**

अ	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता छ0ग0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवी कक्षा उत्तीर्ण।	मेरिट के आधार पर
	कुल निर्धारित अंक.	100 अंक

उपरोक्तानुसार मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(पी0के0 मजुमदार)
अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0, शासन
नया रायपुर (छ0ग0)

उपअभियंता/सहायक ग्रेड–3/विद्युतकार/भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ0ग0 शासन,
बी ब्लाक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ0ग0)

पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करे
(स्वअभिप्रमाणित)

विषय–.....पद के लिए आवेदन।

(1) आवेदित पद का नाम .....

(2) आवेदक का पुरा नाम (हिन्दी/अंग्रेजी में) .....

(3) पिता/पति का नाम .....

(4) अ–जन्म तिथि अंको में .....
ब–जन्म तिथि शब्दों में .....
स–दिनांक 01.01.2015 को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....

(5) लिंग (पुरूष/महिला) .....

(6) शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

कमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

(7) पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता. .....
.....

(8) स्थाई पता. .....
.....

(9) दूरभाष /मोबाईल नम्बर .....

(10) रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) .....

(11) क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव. के सदस्य है, यदि हां तो उल्लेख करें। .....

(12) क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है। .....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

(13) क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नही .....

(14) यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि .....

(15) जीवित संतान की संख्या .....

(16) यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्म तिथि .....

(17) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे।) .....

(18) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची 1.....2.....3.....4.....5.....

दिनांक : ...../.../2015
स्थानः .....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विविरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक : ...../..../2015
स्थानः .....

आवेदक के हस्ताक्षर